न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 12/2022 (राजसमन्द डिकी)

1. मोहनलाल पिता चैनराम जी, जाति सुथार (जांगीड ब्राहमण), निवासी खटुकडा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. डालचन्द पिता चैनराम जी, जाति सुथार, निवासी खटुकडा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. रतनलाल पिता चैनराम जी, जाति सुथार, निवासी खटुकडा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. जमनालाल पिता परशराम जी, जाति सुथार, निवासी खटुकडा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
5. देवीलाल पिता परशराम जी, जाति सुथार, निवासी खटुकडा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. राजमल तथाकथित मुतबन्ना नन्दराम जी, जाति सुथार, निवासी धनेरिया, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. रामलाल पिता मदनलाल जी, जाति सुथार, निवासी धनेरिया, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. शान्ति पत्नी मदनलाल जी, जाति सुथार, निवासी धनेरिया, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. सीता पिता मदनलाल पत्नी कैलाशचन्द्र जी, जाति सुथार, निवासी खटुकडा हाल मुकाम ताणा, तहसील भुपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
5. मेघराज पिता परशराम जी, जाति सुथार, निवासी खटुकडा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
6. नेमीचन्द पिता परशराम जी, जाति सुथार, निवासी खटुकडा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
7. ममता पिता परशराम जी पत्नी जमनालाल, जाति सुथार, निवासी खटुकडा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
8. हीरालाल पिता मदनलाल जी, जाति सुथार, निवासी खटुकडा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
9. मीठालाल पिता माधवलाल जी, जाति सुथार, निवासी छापरी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
10. श्रीमती शान्ति विधवा मदनलाल जी, जाति सुथार, निवासी खटुकडा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:30:16 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा दिनांक
18–02–2021 प्रकरण संख्या 27/2019

——::——

उपस्थित (वक्त बहस) :– 1– श्री दुर्गासिंह शक्तावत अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री अक्षय पालीवाल अभिभाषक रे.सं. 1 से 4, 9
3– श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 11

——::——

निर्णय दिनांक 20–02–2024

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 ने एक वाद बाबत् खातेदारी घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम धनेरिया में खाता संख्या 138 की आराजी नंबर 1603, 1605, 1606, 1607 कुल किता 4 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा भूमि स्थित होकर स्वर्गीय कालू पिता घीसा जी जांगिड के खातेदारी व अधिपत्य की थी। इसी प्रकार खाता संख्या 137 की आराजी नंबर 1604 आ.चा. रकबा 7 बिस्वा में स्वर्गीय कालू पिता घीसा जी जांगिड का 1/4 हिस्सा था, जिनकी मृत्यु वर्ष 1971 में हुई। उनकी मृत्यु पश्चात पुत्र नन्दराम पिता कालू जी अकेले के नाम नामान्तरकरण संख्या 65 दिनांक 29–12–1974 स्वीकृत हुआ, जबकि कालू जी की पुत्री आसी बाई का भी नन्दराम के समान अधिकार निहित था। नन्दराम की मृत्यु के पश्चात नामान्तरकरण राजमल प्रतिवादी संख्या 1 के नाम स्वीकृत हुआ, जबकि वादग्रस्त आराजियात में आसी बाई का 1/2 हिस्सा एवं नन्दराम का 1/2 हिस्सा था। आसी बाई की मृत्यु दिनांक 28–07–2017 को हो चुकी है एवं आसी बाई के प्रत्येक पुत्र का वादग्रस्त भूमि में 1/10 वां हिस्सा है अर्थात 5/10 हिस्सा वादीगण का है तथा 5/10 हिस्सा नन्दराम का था, जो नन्दराम की मृत्यु के पश्चात राजमल को प्राप्त हुआ है। अतः वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित आराजियात में वादीगण को 1/2 हिस्से का तथा कलम संख्या 2 में वर्णित आराजी चाह में 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे तथा राजस्व अभिलेखों में स्वतंत्र रूप से अंकन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 18–02–2020 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे [illegible] अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 09–06–20[illegible] को प्रस्तुत की गयी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:30:16 IST
Reason: SelfAttested

पीठासीन अधिकारी
संभागीय राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 व 9 की ओर से अक्षय पालीवाल उपस्थित। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 11 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 से 8 व 10 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलान्ट ने आदेश 1 नियम 10 (2) व्य.प्र.सं. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी राजमल द्वारा हीरालाल पिता मदनलाल सुथार के पक्ष में पंजीकृत विक्रय कर दिये जाने एवं हीरालाल के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत हो जाने से हीरालाल को प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 के रूप में जोड़े जाने की स्वीकृति प्रदान करावें।

हमने उक्त आवेदन पर मनन किया। हीरालाल पिता मदनलाल पहले से ही प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 के रूप में संयोजित है, जिससे अब उसे पुनः जोड़े जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 (2) व्य. प्र.सं. खारिज किया जाता है।

अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा मियाद अधिनियम की धारा 5 का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि लॉकडाउन के दौरान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के अधिवक्ता को बिना सूचना दिये निर्णय पारित कर दिया गया है, जिसकी जानकारी होने पर नकल दिनांक 28–04–2022 को प्राप्त होने पर अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी है। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः विलम्ब कण्डोन कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमने उक्त आवेदन पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने विधि की सही व्याख्या नहीं कर अपीलान्ट की भूमियां नहीं होने का मिथ्या विश्लेषण किया है, जबकि अपीलान्ट की ओर से आशी बाई का सजरा स्पष्ट रूप से वर्णित किया है, जिससे 1/2 हिस्सा आशी बाई के वारिसान का होने के उपरान्त भी पैत्रृक सम्पत्ति नहीं होने की मनगढन्त व्याख्या कर निर्णय पारित कर दिया। कानु जी की मृत्यु हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रभाव में आने के बाद [illegible] उक्त अधिनियम की धारा 8 की प्रथम अनुसूची के वारिसान के रूप में नन्दराम के [illegible] आशी बाई का भी समान हक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:30:16 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

अधिकार जन्म से निहित है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष उन्हें दिलाया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्या के आधार पर निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। सेटलमेन्ट की जमाबन्दी प्रदर्श 4 अनुसार विवादित आराजियात कालू पिता घीसा जांगिड़ के खाते की होकर विरासत से उसके पुत्र नन्दराम के नाम दर्ज हुई तथा नन्दराम द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में कर दिये जाने से विवादित आराजियात रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 राजमल के नाम दर्ज हुए एवं राजमल द्वारा विवादित आराजियात का आगे से आगे विक्रय भी कर दिया गया है। अपीलान्ट/वादीगण का कथन है कि कालू जी के पुत्र नन्दराम के अलावा एक पुत्री आशी बाई भी थी, किन्तु विरासत का नामान्तरकरण अकेले नन्दराम के पक्ष में स्वीकृत हुआ, जबकि आशी बाई भी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार 1/2 हिस्से की खातेदार थी। स्वयं अपीलान्ट/वादीगण के कथनानुसार आशी बाई की मृत्यु दिनांक 28–07–2017 को हो चुकी है, जबकि उनके द्वारा वाद 12–03–2019 को प्रस्तुत किया गया है। हम यह पाते हैं कि यदि वादग्रस्त सम्पत्ति आशी बाई की पैतृक सम्पत्ति थी, तो इसके लिए वाद लाने की अधिकारिणी आशी बाई थी, न की वादीगण, क्योंकि वादग्रस्त सम्पत्ति वादीगण की पैतृक सम्पत्ति नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने भी अपने विवेचन में उक्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए वादीगण का वाद खारिज किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18–02–2021 यथावत रखी जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 20–02–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:30:16 IST
Reason: SelfAttested

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ..........मुकाम..............उदयपुर............
व इजलास ....प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस. ....

मोहनलाल पिता चेनराम सुथार (जांगिड ब्राहमण), निवासी खटुकडा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द व अन्य

बनाम

राजमल तथाकथित मुतबन्ना नन्दराम सुथार, निवासी धनेरिया, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द व अन्य

अपील नं......12 / 2022........व नाराजगी डिगरी अदालत ....उपखण्ड अधिकारी ....
...........रेलमगरा....... मुकाम...............मुवर्खे.........18..........माह..............02..............2021........................

दावा बाबत

यह अपील व तारीख..........20..........माह............02.......सन् 2024 रूबरू...........पक्षकारान व हाजरी..............श्री दुर्गासिंह शक्तावत..........मिनजानिब अपीलान्ट व.............श्री अक्षय पालीवाल

...........रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18–02–2021 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग..........X.......)..........रूपये .... X......... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख...........20............माह...........02............2024 को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील...........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:30:16 IST
Reason: SelfAttested